

## संशोधित स्मृतिपत्र

1. संस्था का नाम पं० दीन दयाल उपाध्याय जागृति समिति ।
2. संस्था का पता 43 न्यू चौगुर्जी इटावा , इटावा -206001 .
3. संस्था का कार्यक्षेत्र इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

### 4. संस्था के उद्देश्य :-

1. शिक्षा की विकास संस्थाएं स्थापित करना ।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक उन्नति हारेजन पिछड़े वर्ग की महिलाओं अपने बच्चों के लिए विकासोन्मुख कार्य करना।
3. औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाना और कार्यान्वित करना।
4. उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर लोगों को शिक्षित करना ,वाचनालय बनवाना ।
5. शिक्षा केन्द्र से रचनात्मक सेवा कार्यो तथा सांस्कृतिक समारोहो का आयोजन करना ।
6. समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तियों सरकारी अर्द्ध सरकारी कपार्ट स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य विभागो व खादी ग्रामोद्योग स्टेट बोर्ड, स्वदेशी तथा लिमिटेड वानसी संस्थाओ तथा वैदेशिक सरकारी संस्थानो से दान अनुदान एवं ऋण प्राप्त करेगी। चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानान्तरित करना। तथा उद्योग स्थापित करना। समिति द्वारा अर्जित आय का कुछ हिस्सा समिति के अन्य कार्यो में लगाना।
7. पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य व इसकी उचित व्यवस्था ।
8. साधारण एवं अन्य ऐसे कार्य जो रजि० ऐक्ट की धारा 20 सन् 1860 के अन्तर्गत हो।
9. शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एव शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल माध्यमिक उ०मा० स्नातक ,स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने हेतु विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना।
10. तकनीकी, मेडीकल प्रबन्धन, पैरा मेडीकल, नर्सिंग फार्मसी और अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा हेतु संस्थानो की स्थापना करना तथा उनका विकास एवं संचालन करना तथा इन क्षेत्रों में नवीन शोध हेतु अपने शैक्षिक संस्थानो में सुविधाएं / प्रयोगशालाएं स्थापित करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओ को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।
11. अपने शैक्षिक संस्थान में आर्थिक शारीरिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति ,एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

वरिष्ठ अधिकारी  
फंसी, सोसाइटी तथा शिक्षा  
कानपुर

पं० दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति  
43 न्यू चौगुर्जी-इटावा  
12/12/2021

12. उपरोक्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित अस्पताल खोलना तथा उनका संचालन करना।
13. सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी स्कूल एवं कालेजों में छात्र एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने में आर्थिक समस्याओं पर कार्य करते हुए उन्हें सहयोग करना।
14. विकलांगों का भरण पोषण, शिक्षा पुर्नवास आदि उनके खेलकूद की अच्छी व्यवस्था का प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराना।
15. मलिन बस्तियों जैसे गरीब से गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षित कराने हेतु स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन स्कूल बनाकर उन्हें शिक्षित करना है।
16. एन0जी0ओ0 की व्यापकता को देखते हुए इससे सम्बन्धित व्यक्तिगत प्रबन्धन हेतु प्रबन्धन पाठ्यक्रम विद्यालयों में जागृत करते हुए प्रारम्भ करवाना।
17. वृद्धावस्था शेल्टर होम बनवाकर उनकी रुचि के कार्यों में व्यस्त रखना।
18. असहाय गरीबों के लिये भोजन की व्यवस्था करना।
19. बेरोजगार नवयुवकों के लिये कुटीर उद्योगों को लगवाकर उनकी समस्याओं को दूर करते हुए लाभान्वित कराना।
20. छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा हेतु कौशल विकास आदि कार्यक्रमों में भागीदारी कराते हुए योग्य बनाना।
21. ग्रामों/छोटे शहरों/कस्बों में रोजगार मेले करवाकर शिक्षित अशिक्षित स्किल्ड अन्ड स्किल्ड बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना।
22. छात्र एवं छात्राओं एवं जन सामान्य के ज्ञानवर्द्धन हेतु छोटे से छोटे स्थानों पर लाइब्रेरी निर्माण कराना और उन्हें संचालित करना।
23. बेरोजगार युवक /युवतियों पुरुष/महिलाओं को समूह के रूप में एकत्र कर गाँव, मोहल्ले के स्तर पर उनकी रुचि के कार्यों में लगाकर उत्पादन तैयार कराना और उसे बाजार में बेचने में मदद करना।
24. औद्योगिक विकास हेतु योजना बनाकर उद्योगों को लगाना और उद्योगों में सहायता करना इस हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर लोगों को प्रशिक्षित करना।
25. नशा उन्मूलन हेतु केन्द्र स्थापित कर नौजवानों को प्रेरित कर मुक्ति दिलाना इस हेतु ड्रग रिहैबिलिटेशन सेण्टर भी खोलने के प्रयास किए जायेंगे।
26. महिला सशक्तीकरण छात्र /छात्रा सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक सशक्तीकरण, , निर्बल आय वर्ग जन मानस सशक्तीकरण आदि पर योजना बनाकर कार्य करना।



सत्य-प्रतीति

वरिष्ठ सहायक  
कर्म, सोसाइटीज तथा विज्ञान  
कानपुर  
10/06/2019

*[Signature]*  
निर्देशक

40 शैक्षणिक उपकरण जागृति समिति  
43 न्यू बंगलू-इलाहाबाद

27. कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से खेती करते हुए अधिक उपज प्राप्त कर तथा सामान्य उत्पादन से अलग हटकर अन्य उत्पादों पर कार्य करते हुए अधिक धन अर्जन करने हेतु जागृत करना और सहयोग प्रदान करना।
28. सभी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर अधिकतर पात्र जन सामान्य को लाभ दिलाना।
29. जन सामान्य के उचित कार्यों को राजकीय विभागों से न होने पर उन्हें मदद करना और कार्यों समस्याओं का समाधान करवाना।
30. स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक आवश्यकताओं की वृद्धि पर कार्य करके जन सामान्य को स्वस्थ बनाना।
31. गाँव मोहल्लो कालोनियों शिक्षण संस्थानों आदि में स्वास्थ्य सुविधा को भी उपलब्ध कराने हेतु कैम्प लगवाना जिसमें टीके, पोलियो ड्रॉप, आँखों की जाँचे, खून की जाँचे, छोटे आपरेशन आदि स्थल पर ही किये जाने हेतु मोबाइल हैल्थ वर्कशाप तैयार कराकर कार्य कराया जायगा।
32. सर्दियों में कम्बल वस्त्र वितरण कराना।
33. गर्मियों में ठण्डे पानी के पियाऊ सार्वजनिक स्थानों पर लगवाना।
34. सभी घरों में पुराने कपड़े अच्छी हालत में बेकार पड़े रहते हैं उन पुराने कपड़ों का संकलन कर जरूरतमन्दों को वितरण कराना।
35. शमशान घाटों को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्यक्रम करना।
36. पर्यावरण हेतु कार्य करना, वृक्ष लगवाना व लगे हुए वृक्षों का रखरखाव कराना।
37. पशु-पक्षी कल्याण एवं उनके संरक्षण हेतु योजना बनाकर कार्य करना।
38. राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय उत्सव, महापुरुषों के जन्मदिन, पुण्यतिथि आदि पर जन सामान्य को जागृत करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करना।
39. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित स्थलों का संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रमों का संरक्षण योजना बनाकर करना।
40. किसी भी प्रकार की आपदा/महामारी/विपत्ति/आकस्मिक बड़ी दुर्घटनाएं आने पर वहाँ चेरिटेबिल स्वरूप में मदद करना।
41. जन सामान्य द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले अन्य आयोगों जैसे महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग आदि में पैरवी हेतु कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।



सत्य-प्रतिलिपि

*[Signature]*  
निदेशक

वरिष्ठ सहायक

निवन्धक फलदाई तथा वित्त  
कानपुर

28/06/2021

जन ०००००० जागृति समिति  
४३ न्यू बागुली-इलाहाबाद

42. विभिन्न कार्यक्रमों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से परिवहन मोटर बिकल अग्नि शमन, क्राइम, स्वास्थ्य जागरूकता आयकर टैक्सेशन आदि विषयों पर सेमिनार आयोजित कर सामाजिक जागरूकता करना।
43. महामारी जैसे कोरोना, प्लेग, हैजा, टी0बी आदि महामारियों के कारण माता पिता की मृत्यु हो जाने पर उनके निराश्रित बच्चों को शिक्षित कराकर रोजगार दिलाना।
44. जैम पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाना।
45. जैम पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट संस्थानों द्वारा क्वालिटी पर की जा रही खरीददारी में सहयोग करते हुए आपूर्ति देना।
46. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर इनर्जी पर कार्य करके प्रदेश और देश स्तर पर बनायी जा रही पावर कारपोरेशन की खपत को कम करना।
47. बढ़ती आवादी और दूध घी की कमी को देखते हुए दुग्ध उत्पादन केन्द्रों को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त केन्द्र बनवाकर दूध और उससे सम्बन्धित पौष्टिक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना।
48. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन प्राप्ति के लिए व्यक्तियों सरकारी, गैर सरकारी, मंत्रालयों अन्य विभागों खादी ग्रामोद्योग स्टेट बोर्ड वानसी संस्थाओं देश के पूँजीपतियों विदेशों में कार्यरत संस्थाओं प्रवासी भारतीयों से दान-अनुदान प्राप्त करेगी साथ ही चल अचल सम्पत्तियों को प्राप्त करना आवश्यकता पड़ने पर स्थानान्तरित करना। संस्था द्वारा अर्जित आय का कुछ भाग संस्था के सहयोगी संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे अन्य सामाजिक कार्यों में लगाया जा रहा है।



निदेशक

५० दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति  
43 न्यू घोंगुर्जी-इटावा

सत्य-प्रतिनिधि

वर्धि बहायक  
कर्म, सोसाइटीज तथा विदस  
कानपुर

28/6/2021

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो के नाम पता पद एवं व्यवसाय जिन्हे संस्था के नियमानुसार कार्य भार सौपा गया है :-

| क्र.सं. | नाम                      | पता                      | पद            | व्यवसाय    |
|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 1       | श्री हरि किशोर तिवारी    | न्यू चौगुर्जी, इटावा     | निदेशक        | इंजीनियर   |
| 2       | श्री अवधेश नारायन तिवारी | सिविल लाइन्स, इटावा      | उपनिदेशक      | वकालत      |
| 3       | श्री सोमेन्द्र मिश्रा    | 43, न्यू चौगुर्जी, इटावा | कोषाध्यक्ष    | स0सेवा     |
| 4       | श्री भानु शुक्ला         | अशोक नगर इटावा           | उपकोषाध्यक्ष  | स0सेवा     |
| 5       | श्री के0 के0 तिवारी      | 44, न्यू चौगुर्जी इटावा  | मुख्य अनुशासक | एक्स इंजी0 |
| 6       | श्री अंकित तिवारी        | 40, न्यू चौगुर्जी इटावा  | सदस्य         | इंजीनियर   |
| 7       | श्रीमती श्रेता तिवारी    | 40, न्यू चौगुर्जी इटावा  | सदस्य         | इंजीनियर   |

10. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसाइटी रजि0 एक्ट 21 सन 1860 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड कराना चाहते है ।

दिनांक 15.05.2021

| क्र.सं. | नाम                      | पता                      | पद            | व्यवसाय    |
|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 1       | श्री हरि किशोर तिवारी    | न्यू चौगुर्जी, इटावा     | निदेशक        | इंजीनियर   |
| 2       | श्री अवधेश नारायन तिवारी | सिविल लाइन्स, इटावा      | उपनिदेशक      | वकालत      |
| 3       | श्री सोमेन्द्र मिश्रा    | 43, न्यू चौगुर्जी, इटावा | कोषाध्यक्ष    | स0सेवा     |
| 4       | श्री भानु शुक्ला         | अशोक नगर इटावा           | उपकोषाध्यक्ष  | स0सेवा     |
| 5       | श्री के0 के0 तिवारी      | 44, न्यू चौगुर्जी इटावा  | मुख्य अनुशासक | एक्स इंजी0 |
| 6       | श्री अंकित तिवारी        | 40, न्यू चौगुर्जी इटावा  | सदस्य         | इंजीनियर   |
| 7       | श्रीमती श्रेता तिवारी    | 40, न्यू चौगुर्जी इटावा  | सदस्य         | इंजीनियर   |

सत्य-प्रावलिपि

वरिष्ठ सहायक  
जर्स, सोसाइटीज तथा विट्स  
कानपुर

निदेशक

दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति

43 न्यू चौगुर्जी-इटावा

28/06/2021

कार्यालय-उपनिबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स  
127/90, एस ब्लॉक-जूही, शक्तिनगर कानपुर

पत्रांक: 309 / K-27588 कानपुर:दिनांक- 14/06/2021

सेवा में,

सिदेशक  
पं० दीन दयाल उपाध्याय जामृति समिति  
43 न्यू चौरुजी, इटावा

विषय:- पं० दीन दयाल उपाध्याय जामृति समिति, इटावा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर संस्था की संशोधित स्मृति पत्र पंजीकृत की जाती है। यदि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने की बात भविष्य में प्रकाश में आती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा पंजीकृत अभिलेख पंजीकरण की तिथि से अमान्य एवं विधि शून्य होंगे।

भवदीय,



उपनिबन्धक

कानपुर